

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023
का कार्यवाही विवरण**

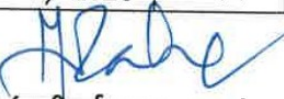
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

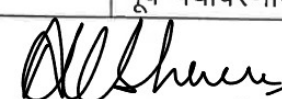
1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला छिन्दवाड़ा			अनुशंसित	स्वीकृति
2.	संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला डिण्डौरी			अनुशंसित	स्वीकृति
3.	संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला शिवपुरी			अनुशंसित	स्वीकृति
4.	10096/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
5.	10063/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
6.	10118/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
7.	10103/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
8.	10116/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
9.	10145/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
10.	10120/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
11.	10148/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
12.	10536/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
13.	10075/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
14.	10016/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
15.	10535/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
16.	10114/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
17.	10170/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
18.	10172/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित
19.	10546/2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023
का कार्यवाही विवरण**

20.	10537 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
21.	10548 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
22.	10550 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
23.	10549 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
24.	10538 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
25.	10353 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
26.	10352 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
27.	10336 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
28.	10334 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
29.	10345 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
30.	10366 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
31.	10390 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
32.	10350 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
33.	10358 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
34.	10280 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
35.	10357 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
36.	10282 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
37.	10391 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
38.	10281 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
39.	10283 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
40.	10284 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
41.	10373 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
42.	10372 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
43.	10369 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
44.	10370 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
45.	10382 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित
46.	10386 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
47.	10383 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
48.	10387 / 2023	1 (a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति

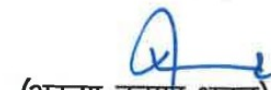
1. संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला छिन्दवाड़ा।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में विदिशा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

परीक्षण उपरांत समिति ने पाया की खनिज अधिकारी श्री रविन्द्र परमार द्वारा प्रस्तुत की गई की उक्त खदानों के भौतिक सत्यापन वास्ते किये गये संयुक्त निरीक्षण अनुसार जांच तिथि को रेत खदान बारादेवीखापा में खनिज मात्रा 195140 घ0मी0 एवं रेत खदान मालेगांव में खनिज मात्रा 261000 घ0मी0 जो कि गठित उपसंभागीय स्तरीय समिति से भी अनुमोदन


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023
का कार्यवाही विवरण

प्राप्त किया गया है, अतः पेज नं.-43 एवं 44 के सरल क्रमांक-24 एवं 26 में उल्लेखित वारादेवीखापा एवं मालेगांव की खदानों की रिक्लेनिश मात्रा को मान्य करते हुए अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में अनुशंसित कार्यवाही मान्य करते हुए उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जाती है। सदस्य सचिव, SEAC के पत्र के साथ (ऑनलाईन/हार्डकॉपी) में एक सप्ताह की अवधि में प्राप्त होने के उपरांत सर्वसंबंधितों को सूचित किया जायेगा।

2. संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला डिण्डौरी

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में विदिशा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

समिति ने खनिज अधिकारी श्री शशांक शुक्ला द्वारा प्रस्तुत की गई की उक्त मूसामुण्डी रैयत-2 एवं दिवारी माल-3 के स्वीकृत खसरे नक्शे के अनुसार नवीन अक्षांश एवं देशांश की वास्तविक जानकारी को मान्य करते हुए अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में अनुशंसित कार्यवाही मान्य करते हुए उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जाती है। सदस्य सचिव, SEAC के पत्र के साथ (ऑनलाईन/हार्डकॉपी) में एक सप्ताह की अवधि में प्राप्त होने के उपरांत सर्वसंबंधितों को सूचित किया जायेगा।

3. संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला शिवपुरी

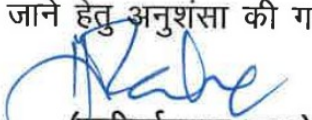
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 में विदिशा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

जिला - शिवपुरी द्वारा संशोधित अक्षांश-देशांश की सूची एवं रेत खदानवार उपलब्धता (60प्रतिशत) की सूची सम्मिलित करते हुये डी.एस.आर. तैयार कर प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज की वास्तविक जानकारी को मान्य करते हुए अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसा की जाती है।

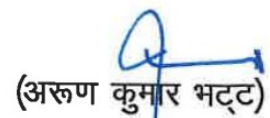
राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में अनुशंसित कार्यवाही मान्य करते हुए उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जाती है। सदस्य सचिव, SEAC के पत्र के साथ (ऑनलाईन/हार्डकॉपी) में एक सप्ताह की अवधि में प्राप्त होने के उपरांत सर्वसंबंधितों को सूचित किया जायेगा।

4. प्रकरण क्र. 10096/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. श्री हिम्मत सिंह सिसोदिया कनिष्ठ प्रबंधक, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.00 हे0, खसरा क्रमांक 54/3, ग्राम डेहरिया, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 667वीं बैठक दिनांक 08.08.2023 एवं 682 वीं बैठक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 804वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 395 मीटर पर एक मेजर ब्रिज लगभग 1.50 किलोमीटर का परिलक्षित है जिसके ऊपर से कैनल भी परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *'Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side'* अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 10163/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. अधिकृति व्यक्ति श्री प्रमोद सक्सेना निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 459 ग्राम मौहारी, तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले रेल्वे ब्रिज से न्यूनतम 01 किलोमीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन सक्रियता आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" छोड़ते हुए 3.0 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माइनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. अधिकृति व्यक्ति श्री प्रमोद सक्सेना निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 459 ग्राम मौहारी, तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

6. प्रकरण क्र. 10118/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री ओमकार दुबे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 23760 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.40 हे0, खसरा क्रमांक 513, ग्राम खण्डासा, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 एवं 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 805वीं बैठक दिनांक 06.09.2023 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 187 मीटर पर एक रपटा ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side"* अनुसार रपटा ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 10103/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. श्री हिम्मत सिंह सिसोदिया कनिष्ठ प्रबंधक, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.00 हे०, खसरा क्रमांक 15, ग्राम गोगावां, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 667वीं बैठक दिनांक 08.08.2023 एवं 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 804 वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 300 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

8. प्रकरण क्र. 10116/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री ओमकार दुबे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5670 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.00 हे०, खसरा क्रमांक 732, 406, ग्राम चिमनाखारी-तालखाखुर्द, तहसील बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 एवं 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 805वीं बैठक दिनांक 06.09.2023 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 600 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है।

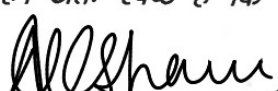
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 10145/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. श्री हिम्मत सिंह सिसोदिया कनिष्ठ प्रबंधक, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.00 हे०, खसरा क्रमांक 107/3, ग्राम कठोरा, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

“...उपरोक्त प्रकरण सिया की 804वीं बैठक दिनांक 05/09/23 के संदर्भ में पुनः परीक्षण किया गया, गूगल ईमेज के आधार पर दोनों प्रकरणों (10145 एवं 10120) का पुनः परीक्षण किया गया, गूगल ईमेज के अनुसार दोनों खदानों के बीच की दूरी लगभग 412 मी. आ रही है, अतः यह बी-1 श्रेणी का प्रकरण होना परिलक्षित है। उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्टया त्रुटी पाई जाये तो उसका निराकरण तत्समय किया जा सके, अतः इन दोनों प्रकरणों को बी.1 श्रेणी कर माना जाये। चूंकि दोनों प्रकरणों में पर्यावरणीय सलाहकार एक ही है। अतः इस विषय में संबंधित जिले के माईनिंग के अधिकारी से स्पष्टिकरण लिया जावे। दोनों प्रकरणों (प्रकरण क्रमांक 10145/2023 एवं प्रकरण क्रमांक 10120/2023) में एकल प्रमाण पत्र का परीक्षण किया गया दोनों ही प्रकरणों में 500 मी. की दूरी पर कोई खदान होना नहीं दर्शाया गया है। अतः स्पष्ट है कि माईनिंग अफसर द्वारा गलत प्रमाण पत्र


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023
का कार्यवाही विवरण

जारी किया गया। अतः समिति का यह भी निर्णय संबंधित जिला के जिलाध्यक्ष के संज्ञान में सिया स्तर से लाया जावे।...

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 682 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को निरस्त किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन द्वारा जारी किये गये गलत एकल प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, खरगौन को सूचित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 10120/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. श्री हिम्मत सिंह सिसोदिया कनिष्ठ प्रबंधक, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.00 हे0, खसरा क्रमांक 4/1, ग्राम माकड़खेड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

“...उपरोक्त प्रकरण सिया की 804वीं बैठक दिनांक 05/09/23 के संदर्भ में पुनः परीक्षण किया गया, गूगल ईमेज के आधार पर दोनों प्रकरणों (10145 एवं 10120) का पुनः परीक्षण किया गया, गूगल ईमेज के अनुसार दोनों खदानों के बीच की दूरी लगभग 412 मी. आ रही है, अतः यह बी-1 श्रेणी का प्रकरण होना परिलक्षित है। उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्टया त्रुटी पाई जाये तो उसका निराकरण तत्समय किया जा सके, अतः इन दोनों प्रकरणों को बी.1 श्रेणी कर माना जाये। चूंकी दोनों प्रकरणों में पर्यावरणीय सलाहकार एक ही है। अतः इस विषय में संबंधित जिले के माईनिंग के अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जावे। दोनों प्रकरणों (प्रकरण क्रमांक 10145/2023 एवं प्रकरण क्रमांक 10120/2023) में एकल प्रमाण पत्र का परीक्षण किया गया दोनों ही प्रकरणों में 500 मी. की दूरी पर कोई खदान होना नहीं दर्शाया गया है। अतः स्पष्ट है कि माईनिंग अफसर द्वारा गलत प्रमाण पत्र जारी किया गया। अतः समिति का यह भी निर्णय संबंधित जिला के जिलाध्यक्ष के संज्ञान में सिया स्तर से लाया जावे।...”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 682 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को निरस्त किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन द्वारा जारी किये गये गलत एकल प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, खरगौन को सूचित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 10148/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,768 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.60 हे0, खसरा क्रमांक 765, 2222, ग्राम रूहेरा, तहसील सेंवड़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 एवं 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 805 वीं बैठक दिनांक 06.09.2023 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

“.. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में 805 मीटर की दूरी पक्का रोड ब्रिज परिलक्षित है परंतु SEAC समिति द्वारा प्रकरण में “यह खदान सिंध नदी में स्थित है तथा खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त है दोनों भाग के बीच में से एक रोड ब्रिज स्थित है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड ब्रिज से दक्षिणी एवं उत्तरी भागों की दूरी क्रमशः 850 एवं 1500 मी. है। खनन कार्य मात्र उत्तरी भाग से किया जावेगा एवं दक्षिणी भाग को गैर खनन क्षेत्र के रूप रखा जायेगा” की अनुशंसा की गई है जो कि गूगल ईमेज अनुसार परिलक्षित नहीं है।

उक्त प्रकरण में परिवेश पोर्टल एवं अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त होना एवं दोनों भाग के बीच में से एक रोड ब्रिज स्थित होना परिलक्षित नहीं है। अतः प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करें।

12. प्रकरण क्र. 10536/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जीतेन्द्र सिंह चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3840 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 95 ग्राम कौआखेड़ा, तहसील चांद जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक .प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जीतेन्द्र सिंह चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वार रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3840 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 95 ग्राम कौआखेड़ा, तहसील चांद जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

13. प्रकरण क्र. 10075/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सुरेन्द्र नामदेव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला, (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल), उत्पादन क्षमता 38,880 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.40 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 969 ग्राम ठरका, तहसील मण्डला जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

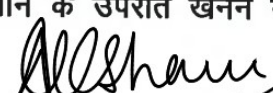
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 666वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 एवं 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

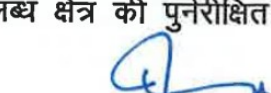
- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 1.44 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

- योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सुरेन्द्र नामदेव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला, (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल), उत्पादन क्षमता 38,880 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.40 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 969 ग्राम ठरका, तहसील मण्डला जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र. 10016/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रवीन्द्र मिश्रा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला, (म0प्र0) द्वारा मुसामुंडी रैयत-2 रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल), उत्पादन क्षमता 9,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 54 ग्राम मुसामुंडी रैयत, तहसील बजाग जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

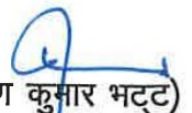
- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
 - II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
 - III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
 - IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रवीन्द्र मिश्रा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला, (म0प्र0) द्वारा मुसामुंडी रैयत-2 रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल), उत्पादन क्षमता 9,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 54 ग्राम मुसामुंडी रैयत, तहसील बजाग जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
15. प्रकरण क्र. 10535/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जीतेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला, (म0प्र0) द्वारा राजाखोह रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5,760 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01 ग्राम राजाखोह, तहसील छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जीतेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला, (म0प्र0) द्वारा राजाखोह रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5,760 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01 ग्राम राजाखोह, तहसील छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16. प्रकरण क्र. 10114/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक, निवासी- पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हे0, खसरा क्रमांक 98, ग्राम भैरोघाट, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 666वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 803 वी बैठक दिनांक 25.08.2023 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से अपस्ट्रीम में 360 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

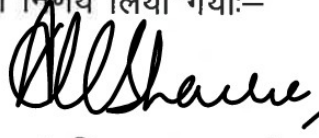
अतः प्रकरण में उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिती सुनिश्चित करें।

17. प्रकरण क्र. 10170/2023 परियोजना प्रस्तावक, म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री प्रमोद सक्सेना निवासी- पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा वेंकटनगर कदमसरा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 68,616 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.812 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 178, 1033, 1040, ग्राम वेंकटनगर, तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 2.28 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
 - II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
 - III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
 - IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
 - V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री प्रमोद सक्सेना निवासी- पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा वेंकटनगर कदमसरा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 68,616 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.812 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 178, 1033, 1040, ग्राम वेंकटनगर, तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
18. प्रकरण क्र. 10172/2023 परियोजना प्रस्तावक दि एम.पी स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री प्रमोद सक्सेना निवासी- पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा सीतापुर रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 13, ग्राम सीतापुर, तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

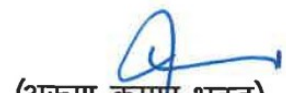

(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

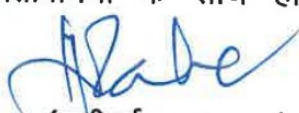
"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 300 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान 'Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side' अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

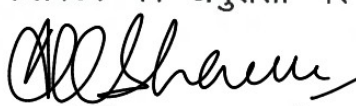
19. प्रकरण क्र. 10546/2023 परियोजना प्रस्तावक दि एम.पी स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री प्रमोद सक्सेना निवासी- पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा कर्सुआरजा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7,446 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 752, ग्राम कर्सुआरजा तहसील माड़ा जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

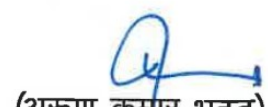
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि एम.पी स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन, श्री प्रमोद सक्सेना निवासी- पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा कर्सुआरजा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7,446 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 752, ग्राम कर्सुआरजा तहसील माड़ा जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

20. प्रकरण क्र. 10537/2023 परियोजना प्रस्तावक दि एम.पी स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन, श्री राजेन्द्र बाजपेयी निवासी- पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल, (म0प्र0) द्वारा गोहाची रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित) रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 295, ग्राम गोहाची तहसील बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 0.28 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना (रेत पुनर्भरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

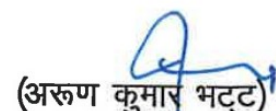
परियोजना प्रस्तावक दि एम.पी स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री राजेन्द्र बाजपेयी निवासी- पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल, (म0प्र0) द्वारा गोहाची रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित) रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 295, ग्राम गोहाची तहसील बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

21. प्रकरण क्र. 10548/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमाकांत पांडे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा गिरवासा पुरानी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15,048 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.672 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 48, ग्राम गिरवासा, तहसील लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमाकांत पांडे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा गिरवासा पुरानी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15,048 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.672 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 48, ग्राम गिरवासा, तहसील लहार, जिला भिण्ड (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

22. प्रकरण क्र. 10550/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमाकांत पांडे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा मूरतपुरा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36,307 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.880 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम मूरतपुरा, तहसील रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

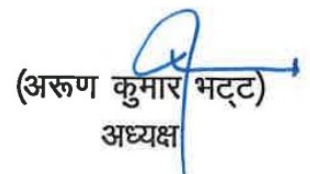
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमाकांत पांडे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा मूरतपुरा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36,307 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.880 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम मूरतपुरा, तहसील रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. प्रकरण क्र. 10549/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमाकांत पांडे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा लगडुआ रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15,960 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 185, ग्राम लगडुआ, तहसील लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमाकांत पांडे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा लगडुआ रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15,960 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 185, ग्राम लगडुआ, तहसील लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.) की


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

24. प्रकरण क्र. 10538/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमाकांत पांडे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा दुनातर रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम दुनातर तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

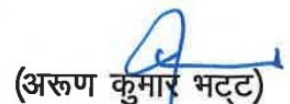
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 682वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमाकांत पांडे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा दुनातर रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम दुनातर तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

25. प्रकरण क्र. 10353/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सतेन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा बरखेड़ीघाट रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 4,620 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 0.77 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 72, ग्राम बरखेड़ीघाट तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सतेन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा बरखेड़ीघाट रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 4,620 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 0.77 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 72, ग्राम बेरखेड़ीघाट तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

26. प्रकरण क्र. 10352/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र बाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा दनवास रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3840 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित) रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 24, ग्राम दनवास, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" छोड़ते हुए 1.28 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माइनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान **"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"** अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से न्यूनतम 500 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र बाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा दनवास रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3840 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित) रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 24, ग्राम दनवास, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

27. प्रकरण क्र. 10336/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गया प्रसाद अंजने निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा करकटी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36,414 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.023 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 36, ग्राम करकटी, तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गया प्रसाद अंजने निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा करकटी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36,414 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.023 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 36, ग्राम करकटी, तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

28. प्रकरण क्र. 10334/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गया प्रसाद अंजने निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा झिलमिली रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 49,170 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.178 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 02, 08, 32, ग्राम झिलमिली, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम से न्यूनतम 500 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गया प्रसाद अंजने निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा झिलमिली रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 49,170 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.178 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 02, 08, 32, ग्राम झिलमिली, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

29. प्रकरण क्र. 10345/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र बाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा लेटनी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 563, ग्राम लेटनी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

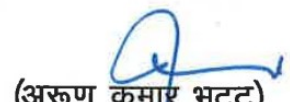
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संचक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र बाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

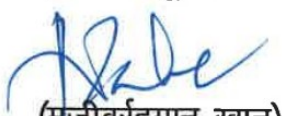
द्वारा लेटनी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 563, ग्राम लेटनी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

30. प्रकरण क्र. 10366/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र बाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.881 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 159, ग्राम देवली, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र बाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.881 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 159, ग्राम देवली, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

31. प्रकरण क्र. 10390/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा ठाकुरटोला रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7200 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 125, ग्राम ठाकुरटोला, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

“... प्रश्नाधीन खदान जिनके प्रकरण क्रमांक 10390/2023 एवं 10350/2023, 10358/2023, 10357/2023 तथा 10391/2023 हैं, SEAC प्रस्तुतीकरण से पूर्व सभी 05 खदानों की KML एक साथ ओपन करने पर 500 मीटर की परिधी में अन्य रेत खदान स्वीकृत होने के कारण B-1 श्रेणी में पाई गई है, जबकि नवीन एकल प्रमाण - पत्र में क्लस्टर की जानकारी भिन्न है। अतः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में मेरे द्वारा जिला बालाघाट की 05 रेत खदानों का प्रस्तुतीकरण B-2 श्रेणी में देना उचित नहीं होगा। उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्टया त्रुटी पाई जाये तो उसका निराकरण तत्समय किया जा सके, अतः इन सभी प्रकरणों को बी.1 श्रेणी कर माना जाये। चूँकी दोनों प्रकरणों एक ही जिले से संबंधित है। अतः इस विषय में संबंधित जिले के माईनिंग के अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जावे, एवं अतः समिति का यह भी निर्णय संबंधित जिला के जिलाध्यक्ष के संज्ञान में सिया स्तर से लाया जावे। ..”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को निरस्त किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट द्वारा जारी किये गये गलत एकल प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, बालाघाट को सूचित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

32. प्रकरण क्र. 10350/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 29700 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम रोशना, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"... प्रश्नाधीन खदान जिनके प्रकरण क्रमांक 10390/2023 एवं 10350/2023, 10358/2023, 10357/2023 तथा 10391/2023 हैं, SEAC प्रस्तुतीकरण से पूर्व सभी 05 खदानों की KML एक साथ ओपन करने पर 500 मीटर की परिधी में अन्य रेत खदान स्वीकृत होने के कारण B-1 श्रेणी में पाई गई है, जबकि नवीन एकल प्रमाण- पत्र में क्लस्टर की जानकारी भिन्न है। अतः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में मेरे द्वारा जिला बालाघाट की 05 रेत खदानों का प्रस्तुतीकरण B-2 श्रेणी में देना उचित नहीं होगा।

उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्टया त्रुटी पाई जाये तो उसका निराकरण तत्समय किया जा सके, अतः इन सभी प्रकरणों को बी.1 श्रेणी कर माना जाये। चूँकी दोनों प्रकरणों एक ही जिले से संबंधित है। अतः इस विषय में संबंधित जिले के माईनिंग के अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जावे, एवं अतः समिति का यह भी निर्णय संबंधित जिला के जिलाध्यक्ष के संज्ञान में सिया स्तर से लाया जावे। .."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को निरस्त किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट द्वारा जारी किये गये गलत एकल प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, खरगौन को सूचित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण क्र. 10358/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 28980 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.22 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 45, ग्राम बरखेड़ा, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

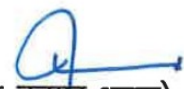
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"... प्रश्नाधीन खदान जिनके प्रकरण क्रमांक 10390/2023 एवं 10350/2023, 10358/2023, 10357/2023 तथा 10391/2023 हैं, SEAC प्रस्तुतीकरण से पूर्व सभी 05 खदानों की KML एक साथ ओपन करने पर 500 मीटर की परिधी में अन्य रेत खदान स्वीकृत होने के कारण B-1 श्रेणी में पाई गई है, जबकि नवीन एकल प्रमाण- पत्र में क्लस्टर की जानकारी भिन्न है। अतः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में मेरे द्वारा जिला बालाघाट की 05 रेत खदानों का प्रस्तुतीकरण B-2 श्रेणी में देना उचित नहीं होगा।

उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्टया त्रुटी पाई जाये तो उसका निराकरण तत्समय किया जा सके, अतः इन सभी प्रकरणों को बी.1 श्रेणी कर माना जाये। चूँकी दोनों प्रकरणों एक ही जिले से संबंधित है। अतः इस विषय में संबंधित जिले के माईनिंग के अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जावे, एवं अतः समिति का यह भी निर्णय संबंधित जिला के जिलाध्यक्ष के संज्ञान में सिया स्तर से लाया जावे। .."


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को निरस्त किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट द्वारा जारी किये गये गलत एकल प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, खरगौन को सूचित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

34. प्रकरण क्र. 10280/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा परसोड़ी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 220/1, ग्राम परसोड़ी, तहसील लाझी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा परसोड़ी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 220/1, ग्राम परसोड़ी, तहसील लाड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

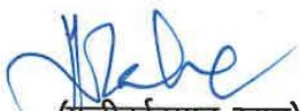
35. प्रकरण क्र. 10357/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25,752 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.292 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 117, ग्राम कौड़िया, तहसील लालबर्सा, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

“... प्रश्नाधीन खदान जिनके प्रकरण क्रमांक 10390/2023 एवं 10350/2023, 10358/2023, 10357/2023 तथा 10391/2023 हैं, SEAC प्रस्तुतीकरण से पूर्व सभी 05 खदानों की KML एक साथ ओपन करने पर 500 मीटर की परिधी में अन्य रेत खदान स्वीकृत होने के कारण B-1 श्रेणी में पाई गई है, जबकि नवीन एकल प्रमाण- पत्र में क्लस्टर की जानकारी भिन्न है। अतः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में मेरे द्वारा जिला बालाघाट की 05 रेत खदानों का प्रस्तुतीकरण B-2 श्रेणी में देना उचित नहीं होगा। उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्टया त्रुटी पाई जाये तो उसका निराकरण तत्समय किया जा सके, अतः इन सभी प्रकरणों को बी.1 श्रेणी कर माना जाये। चूँकी दोनों प्रकरणों एक ही जिले से संबंधित है। अतः इस विषय में संबंधित जिले के माईनिंग के अधिकारी से स्पष्टिकरण लिया जावे, एवं अतः समिति का यह भी निर्णय संबंधित जिला के जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लिया स्तर से लाया जावे। ..”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को निरस्त किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट द्वारा जारी किये गये गलत एकल प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, खरगौन को सूचित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

36. प्रकरण क्र. 10282/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा घोटी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 19140 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम घोटी, तहसील खैरलाड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा घोटी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 19140 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम घोटी, तहसील खैरलाड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

37. प्रकरण क्र. 10391/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 258, ग्राम कुकड़ा, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

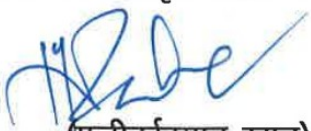
“... प्रश्नाधीन खदान जिनके प्रकरण क्रमांक 10390/2023 एवं 10350/2023, 10358/2023, 10357/2023 तथा 10391/2023 हैं, SEAC प्रस्तुतीकरण से पूर्व सभी 05 खदानों की KML एक साथ ओपन करने पर 500 मीटर की परिधी में अन्य रेत खदान स्वीकृत होने के कारण B-1 श्रेणी में पाई गई है, जबकि नवीन एकल प्रमाण - पत्र में क्लस्टर की जानकारी भिन्न है। अतः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में मेरे द्वारा जिला बालाघाट की 05 रेत खदानों का प्रस्तुतीकरण B-2 श्रेणी में देना उचित नहीं होगा। उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्टया त्रुटी पाई जाये तो उसका निराकरण तत्समय किया जा सके, अतः इन सभी प्रकरणों को बी.1 श्रेणी कर माना जाये। चूँकी दोनों प्रकरणों एक ही जिले से संबंधित हैं। अतः इस विषय में संबंधित जिले के माईनिंग के अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जावे, एवं अतः समिति का यह भी निर्णय संबंधित जिला के जिलाध्यक्ष के संज्ञान में सिया स्तर से लाया जावे। ..”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 683 वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को निरस्त किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट द्वारा जारी किये गये गलत एकल प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, खरगौन को सूचित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

38. प्रकरण क्र. 10281/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा छोटी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 26400 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 442/1, ग्राम सिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा घोटी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 26400 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 442/1, ग्राम सिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

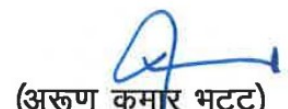
39. प्रकरण क्र. 10283/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा खैरी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 854, ग्राम खैरी तहसील खैरलांझी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

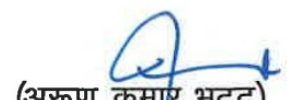
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा खैरी रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 854, ग्राम खैरी तहसील खैरलांझी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

40. प्रकरण क्र. 10284/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा चिचोली रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12247.20 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.458 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 387, ग्राम चिचोली तहसील खैरलांझी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा चिचोली रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12247.20 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.458 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 387, ग्राम चिचोली तहसील खैरलांड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

41. प्रकरण क्र. 10373/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सतेन्द्र सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 123, ग्राम तीजलपुर तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
 - II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
 - III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
 - IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सतेन्द्र सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 123, ग्राम तीजलपुर तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

42. प्रकरण क्र. 10372/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सतेन्द्र सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1980 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 0.33 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 30, ग्राम बरेला तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सतेन्द्र सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1980 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 0.33 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 30, ग्राम बरेला तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

43. प्रकरण क्र. 10369/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बालाराम मेहरा निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा खिरिया सुनवई रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.20 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1, ग्राम खिरिया सुनवई तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बालाराम मेहरा निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0)


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा खिरिया सुनवई रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.20 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1, ग्राम खिरिया सुनवई तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

44. प्रकरण क्र. 10370/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बालाराम मेहरा निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा केरुआ सुनवई रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.85 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 852, ग्राम केरुआ तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

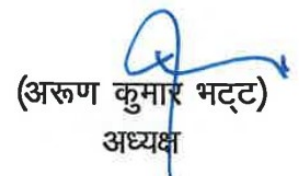
- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बालाराम मेहरा निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा केरुआ सुनवई रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.85 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 852, ग्राम केरुआ तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म. प्र) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

45. प्रकरण क्र. 10382/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा ताजपुरा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम ताजपुरा तहसील मक्सूदनगढ़, जिला गुना म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 36 मीटर पर एक रपटा/ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान **"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"** अनुसार रपटा/ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

46. प्रकरण क्र. 10386/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 333, ग्राम इकोदिया (बेलका) तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन सक्रिया आरंभ की जाये।
 - II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
 - III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
 - IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 333, ग्राम इकोदिया (बेलका) तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

47. प्रकरण क्र. 10383/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76, ग्राम रघुनाथपुरा (कादीखेड़ा) तहसील मक्सूदनगढ़, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

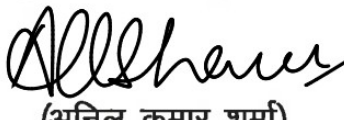
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

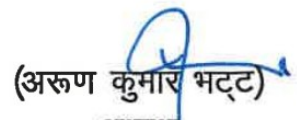
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76, ग्राम रघुनाथपुरा (कादीखेड़ा) तहसील मक्सूदनगढ़, जिला गुना (म.प्र.)


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

48. प्रकरण क्र. 10387/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 85, ग्राम बाक्वा (लहरियों) तहसील चचौड़ा, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 684वीं बैठक दिनांक 30.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 85, ग्राम बावचा (लहरियों) तहसील चचौड़ा, जिला गुना (म.प्र) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

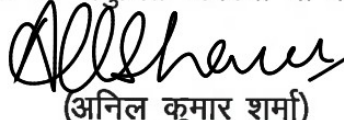


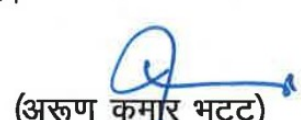
(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रित खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

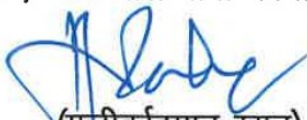
1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छा:माही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

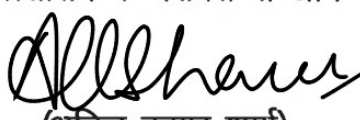

(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट-2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छा:माही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
7. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
11. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
14. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
16. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
21. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
27. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
28. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :-

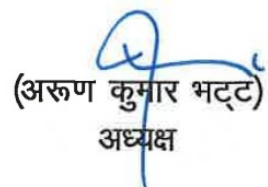
29. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
30. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.

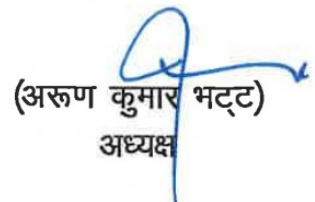
31. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
32. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
33. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
34. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
35. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
36. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष